भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3641
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

नई शिक्षा नीति 2020 में सुधार

3641. **श्री कीर्ति आज़ाद:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत प्रस्तावित सुधारों को राज्यों में असमान रूप से लागू किया जा रहा है; और
(ख) क्या शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की कमी नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): दिनांक 29.07.2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को पूरा करना है। एनईपी 2020 केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सभी राज्यों में इसके कार्यान्वयन के लिए कई सुधारों का प्रावधान करती है।

एनईपी 2020 इसके कार्यान्वयन के लिए पृथक समय-सीमा, सिद्धांत और कार्यप्रणाली प्रदान करती है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से ज़िम्मेदार हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल शुरू की है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न मध्यवर्तनों जैसे अनुकूल शिक्षण वातावरण

प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखना, पात्र छात्रों को निःशुल्क यूनीफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी और डिजिटल पहल के लिए सहायता, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है, जिसमें वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तपोषित करना है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने की वजह से, देश में अधिकांश स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (एचईआई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। यूडाइज़+ 23-24 रिपोर्ट के अनुसार, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 46,42,759 है।

इसके अलावा, शिक्षक क्षमता निर्माण को निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) के माध्यम से किया गया है, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) सहित स्कूल शिक्षा के सभी चरणों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थानों और कॉलेजों की कुल संख्या क्रमशः 1213 और 46624 हो गई है। साथ ही, कार्यरत संकाय/शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 16.64 लाख है।

उच्चतर शिक्षा में, संकाय और उनके व्यावसायिक विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना 'मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम' शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, 144 मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा संकाय के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न घटक जैसे कि भविष्य नेतृत्व कार्यक्रम का पोषण; विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता; डिजाइन और उद्यमिता; मानसिक स्वास्थ्य, लोचशीलता और कल्याण, एआई और साइबर सुरक्षा, एसटीईएम, एसटीईएम संकाय के लिए विज्ञान संचार आदि शामिल हैं ।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी **2020** के साथ अनुरूप किया गया है। शिक्षा मंत्रालय का बजट आवंटन वर्ष 2021-22 के लिए 93,224.31 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 के लिए 1,28,650.05 करोड़ रुपये हो गया है।

******